भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4423

20 अगस्त, 2025 के लिए प्रश्न

महाराष्ट्र में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कार्यान्वयन

4423. डॉ. अमोल रामसिंग कोल्हे:

श्री धैर्यशील राजसिंह मोहिते पाटील:

श्रीमती सुप्रिया सुलेः

प्रो. वर्षा एकनाथ गायकवाड़:

श्री भास्कर मुरलीधर भगरे:

श्री संजय दिना पाटील:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) महाराष्ट्र राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के कार्यान्वयन की इसके अंतर्गत कवरेज किए गए लाभार्थियों और वितरित वस्तुओं सहित, वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) महाराष्ट्र में वर्तमान में कार्यरत उचित मूल्य की दुकानों (एफपीएस) की संख्या कितनी है और पीडीएस के तहत लाभान्वित होने वाले राशन कार्ड धारकों की कुल संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार ने महाराष्ट्र में पीडीएस की प्रभावशीलता और दक्षता का आकलन करने के लिए कोई मूल्यांकन किया है और यदि हाँ, तो उसके मुख्य निष्कर्ष क्या हैं;

(घ) उक्त राज्य के ग्रामीण, आदिवासी और शहरी क्षेत्रों में लाभार्थियों को खाद्यान्न और आवश्यक वस्तुओं का समय पर और पारदर्शी वितरण सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) क्या हाल के वर्षों में महाराष्ट्र में पीडीएस कार्यान्वयन में कोई अनियमितताएं सामने आई हैं और यदि हाँ, तो उस पर क्या कार्रवाई की गई है; और

(च) क्या सरकार का बढ़ती मुद्रास्फीति और परिचालन लागत के मद्देनजर एफपीएस डीलरों के पारिश्रमिक/कमीशन में वृद्धि करने का विचार है और यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)

(क): सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) अब राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (एनएफएसए) के प्रावधानों के अनुसार संचालित होती है। यह अधिनियम महाराष्ट्र राज्य सहित सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया जा रहा है। इस अधिनियम के अंतर्गत, महाराष्ट्र राज्य के लिए निर्धारित लाभार्थियों की अधिकतम सीमा 76.32% ग्रामीण

...2/-

आबादी और 45.34% शहरी आबादी है, जो 2011 की जनगणना के अनुसार 700.17 लाख व्यक्ति है। महाराष्ट्र राज्य ने अधिकतम स्वीकार्य सीमा अर्थात 700.17 लाख व्यक्तियों तक लाभार्थियों की पहचान की है।

"खाद्यान्न" शब्द को चावल, गेहूँ या मोटे अनाज या इनके किसी भी संयोजन के रूप में परिभाषित किया गया है जो केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर आदेश द्वारा निर्धारित गुणवत्ता मानदंडों के अनुरूप हो।

(ख): महाराष्ट्र राज्य में 59,819 उचित दर दुकानें (एफपीएस) और 1,67,41,854 राशन कार्ड हैं।

(ग): इस विभाग ने चरण-I (वर्ष 2018-20) और चरण-II (वर्ष 2020-23) के लिए महाराष्ट्र सहित विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में अधिनियम के कार्यान्वयन का समवर्ती मूल्यांकन करने हेतु प्रतिष्ठित निगरानी संस्थानों (एमआई) को नियुक्त किया है। एमआई द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट और निष्कर्ष "https://nfsa.gov.in/portal/Concurrent Evaluation" पर सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध हैं।

(घ): केंद्र और राज्य सरकार की संयुक्त जिम्मेदारी के तहत, लाभार्थियों की पहचान, उनके राशन कार्ड जारी करने और अधिनियम के तहत उनकी पात्रता के अनुसार खाद्यान्न वितरण की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकार की है।

प्रौद्योगिकी संचालित लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) सुधारों के भाग के रूप में, टीपीडीएस में पारदर्शिता और जवाबदेही में सुधार के उद्देश्य से, सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में राशन कार्डों/लाभार्थियों के डाटाबेस को पूरी तरह से (100%) डिजिटल कर दिया गया है। पारदर्शिता पोर्टल और ऑनलाइन शिकायत निवारण सुविधा/टोल-फ्री नंबर सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में लागू किए गए हैं। साथ ही, सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में ऑनलाइन आबंटन लागू किया गया है और 31 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (चंडीगढ़, पुडुचेरी और दादरा और नगर हवेली के शहरी क्षेत्र को छोड़कर, जिन्होंने डीबीटी नकद हस्तांतरण योजना को अपनाया है) में आपूर्ति श्रृंखला को कम्प्यूटरीकृत किया गया है। इसके अलावा, खाद्यान्न वितरण की बेहतर ट्रैकिंग के लिए, देश में कुल 5.43 लाख उचित दर दुकानों (एफपीएस) में से लगभग 5.41 लाख (99.6%) को लाभार्थियों के बायोमेट्रिक/आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से पारदर्शी तरीके (इलेक्ट्रॉनिक रूप से) से खाद्यान्न वितरण के लिए ईपीओएस डिवाइस स्थापित करके स्वचालित किया गया है।

(ङ.): महाराष्ट्र राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यान्वयन में किसी भी अनियमितता के संबंध में राज्य सरकार की ओर से कोई रिपोर्ट नहीं है।

....3/-

(च): लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) केंद्र और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की संयुक्त जिम्मेदारी के तहत संचालित होती है। उचित दर दुकानों (एफपीएस) को लाइसेंस जारी करना, उचित दर दुकानों के कामकाज का पर्यवेक्षण और निगरानी आदि सहित परिचालन संबंधी जिम्मेदारी संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार की है। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2015 के खंड 9 के उप-खंड (7) के अनुसार, राज्य सरकार उचित दर दुकान के मालिक के मार्जिन के रूप में एक राशि निर्धारित करेगी, जिसकी समीक्षा उचित दर दुकान के संचालन की निरंतर व्यवहार्यता सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर की जाएगी।

उचित दर दुकानों के डीलरों के मार्जिन/कमीशन/मानदेय आदि की वास्तविक दर निर्धारित करने में केंद्र सरकार की भूमिका सीमित है। केंद्र सरकार केवल खाद्य सुरक्षा (राज्य सरकारों को सहायता) नियम, 2015 (समय-समय पर संशोधित) के प्रावधानों के अनुसार, एनएफएसए के तहत खाद्यान्नों के अंतरा-राज्यीय संचलन और हैंडलिंग और उचित दर दुकानों के डीलरों के मार्जिन पर होने वाले व्यय को पूरा करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता प्रदान करती है, जो अन्य बातों के साथ-साथ व्यय के मानदंडों और केंद्रीय हिस्सेदारी के पद्धति का प्रावधान करता है। उचित दर दुकानों की व्यवहार्यता सुनिश्चित करने के लिए, एफपीएस डीलरों के मार्जिन के लिए केंद्रीय सहायता के मानदंडों को अप्रैल, 2022 से बढ़ा दिया गया था।

वर्तमान में, एफपीएस डीलरों के मार्जिन को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

*****